



## राजस्थान आवासन मण्डल

RAJASTHAN HOUSING BOARD  
(A State Government Enterprise constituted under RHB Act 1970)  
अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम  
ADDL. CHIEF ENGINEER-I,

No. ACE-I/RHB/JPR/2022-23/ 281

Date :- 07.07.2022

### निरस्तीकरण सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या 03/2022-23 दिनांक 09.05.2022 के मद संख्या 05 "Annual Rate Contract for the the work of Providing, Laying, Jointing, Testing of DI/HDPE pipelines with interconnection works and construction of tube well the jurisdiction of Division PHE-II, RHB Jaipur" की बिड मे वर्तमान मे अन्य कार्यों मे प्राप्त दरों से अधिक होने एवं प्रतिस्पर्धा का अभाव होने के कारण बिड को निरस्त किया जाता है। उपरोक्त आदेश को पत्रावली पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त है।

६०  
अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम,  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. तकनीकी सहायक-आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. आवासीय अभियंता, ई-प्रोक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि निविदा निरस्त करने का श्रम करें।
5. आवासीय अभियंता, खण्ड-पी.एच.ई-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. परियोजना अभियंता (वरिष्ठ)-अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

६०  
अतिरिक्त मुख्य अभियंता-प्रथम